न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000272011</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-55/11</u> संस्थापित दिनांक-23.02.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	·-
आरक्षी केन्द्र चन्देरी	जिला अशोकनगर।
	अभियोजन
विरुद्ध	
01—कयूम खां पुत्र	कुतुबुद्धीन आयु 50 वर्ष निवासी नई
सडक वार्ड नंबर 12 खनियाढाना जिला शिवपुरी	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:— श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
ारोपी द्वारा	:– श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u>ः— (आज दिनांक 11.11.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279,337,338 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 279,337 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी बुद्धमान ने दिनांक 04.01.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 04.01.11 समय 09:20 बजे हलनपुर बसस्टेड चंदेरी अशोकनगर रोड पर वह अपनी बस को हलनपुर बसस्टेड पर खड़ा करके सबारी उतार रहा था तभी बस कमाक एम पी 33 सी 0139 का चालक बस को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसके पंजे पर बस का पहिया चढ़ा दिया जिससे वह गिर गया तथा उसके पास रोड पर खड़े रामिकशोर, कल्याण और रिवन्द्र को भी बस की टक्कर लगने से चोट आई थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 4/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 279,337,338 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 279,337,338 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 04.01.11 का समय 09:20 बजे हलनपुर बस
 - 2. स्टेन्ड पर चंदेरी अशोकनगर रोड पर बस क्रमांक एम पी 033 / सी. 0139 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन कारित किया ?
 - आपने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त बस को

उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए रोड के किनारे खडे रिवन्द्र,कल्याण, रामकिशोर को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01से 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा.01 रविन्द्र, अ.सा.2 मनोहर, अ.सा.3 बुद्धमान, अ.सा.4 कल्लू, अ.सा.5 राजकुमार, अ.सा.6 संजयकुमार, अ.सा.7 डॉ अजय सिह, अ.सा.8 रामिकशोर, अ.सा.9 आर एस परिहार की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 रविन्द्र ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी केअनुसार घटना दिनाक को हलनपुर बस स्टेड के पास उसका एक्सीडेट हो गया था जिसमें चार लोगों को चोट आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार बस कोन चला रहा था उसे नहीं पता और उसने डायवर को नहीं देखा। अ.सा. 2 मनोहरसिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह फरियादी को नहीं जानता और साथ ही आहतगण को भी नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार वह आरोपी को भी नहीं जानता तथा घटना दिनाक को जो एक्सीडेट हुआ था उसकी बस कोन चला रहा था उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने बस को लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मारी थी। अ.सा.3 बुद्धभान ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसका एक्सीडेट हो गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे ध्यान नहीं है कि बस कोन चला रहा था। अ.सा.3 के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी02 लेखवद्ध कराई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे ध्यान नहीं है कि आरोपी द्वारा बस को लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया तथा उक्त साक्षी के अनुसार उस आरोपी का नाम भी आज ध्यान नहीं है।

09— अ.सा.5 राजकुमार ने अपने कथन मे बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने उससे प्र0पी05 के जप्ती पंचनामा पर हस्ताक्षर कराए थे किंतु उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि पुलिस ने जप्ती की कार्यवाही की थी। इसी प्रकार अ.सा.6 ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि उसकी बस का एक्सीडेट हुआ था। उक्त साक्षी के अनुसार उसकी बस प्र0पी05 के अनुसार जप्त हुई थी। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि बस को कोन चला रहा था। अ.सा.8 रामिकशोर ने अपने कथन मे बताया है कि घटना दिनाक को वह बस मे बैठकर जा रहा था तो उनकी बस को किसी बस ने टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि बस में जीप टकराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि बह जब बाहर उतरा था तब एक अन्य बस ने उन लोगो को टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि बस तेजी व लापरवाहीपूर्वक चल रही थी जिससे एक व्यक्ति नीचे दब गया था।

10— अ.सा.4 कल्लू ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता और न ही उसे पहचानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को फरियादी बुद्धभान को बस ने टक्कर मारी दी थी जिससे उसका पैर कट गया था। उक्त साक्षी के अनुसार बस को कोन चला रहा था उसे आज ध्यान नहीं है। अ.सा.9 आर एस परिहार जो कि मामले के विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा नक्सा मौका प्र0पी04 के अनुसार तैयार किया गया था तथा प्र0पी05 के अनुसार बस जप्त की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त साक्षी ने प्र0पी06 के अनुसार दस्तावेज जप्त किये थे तथा साक्षीगण के कथन भी लेखवद्ध करना उक्त साक्षी ने बताया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने झूंठा प्रकरण बनाया है। अ.सा.7 डॉ अजयसिह द्वारा प्रकरण में आहत रविन्द्र, कल्याणसिह, रामिकशोर एवं बुद्धमान का मेडिकल परीक्षण किया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उन्होंने उक्त आहतगण का मेडिकल परीक्षण कर रिपोर्ट प्र0पी08 लगायत प्र0पी011 तैयार की थी जिसमें उन्होंने आहतगण के शरीर पर चोटे

आना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार आहतगण को आई चोटें मारपीट से आना संभव थी।

- अभियोजन की ओर से जो उपरोक्त साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि घटना के फरियादी एवं अन्य साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये है। घटना के एक भी चक्षुदर्शी साक्षी ने अभियोजन कहानी का सर्मथन नहीं किया है। प्रकरण मे न तो फरियादी और न ही किसी अन्य चक्षुदर्शी साक्षी ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी द्वारा ही घटना दिनांक को उक्त बस को तेज व लापरवाहीपूर्वक चालित कर फरियादी एवं अन्य आहतगण को टक्कर मारी गई जिससे उन्हे उपहति कारित हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी02 में फरियादी द्वारा यह अभिवचन लिखायाा गया है कि उक्त घटना दिनाक कोआरोपी कयूम ने उक्त बस को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया था तथा उन्हे टक्कर मारी थी, इसके विपरीत फरियादी ने अपने कथनों में कथन किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी उक्त बस को चालित नहीं कर रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे ध्यान ही नहीं है कि आरोपी ही उक्त बस को चला रहा था। उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से जिन साक्षीगण की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उन्होने भी धारा 161 दप्रस के कथनों के विपरीत कथन करते हुए इस तथ्य से इंकार किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा उक्त बस को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर फरियादी एवं अन्य आहतगण को टक्कर मारी गई।
- 12— इस प्रकार अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसमें फरियादी तथा अन्य किसी आहतगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर फरियादी एवं आहत को टक्कर मारी गई। उल्लेखनीय है कि प्रकरण मे जप्ती पंचनामा के साक्षी भी पक्षद्रोही हो गये है तथा उनके द्वारा जप्ती की कार्यवाही से इंकार किया गया है। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश मे यह निष्कर्ष दिया जाता है

कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनाक को आरोपी द्वारा उक्त बस को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर मानव जीवन संकटापन किया गया। अभियोजन यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा उक्त बस को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर आहतगण को टक्कर मारकर उपहित कारित की गई। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादि की धारा 279,338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बस अरहित टेवल्स क्रमांक एमपी 33ई 0139 जिसके पीछे खुशवू लिखा है, एवं दस्तावेज पूर्व से सुपुदर्गी पर है अतः सुपुदर्गीनामा निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

15— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)